शुद्धिपत्र :

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)- जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली के फ्लैटों में प्रीमियम गुणवत्ता, थ्री लेयर इनसयूलेटिड वाइट कलर आउटर लेयर पीवीसी वाटर स्टोरेज टैंक की फिक्सिंग और आपूर्ति हेतु निविदा

भाग 'क'

बोली दस्तावेज की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख और समय को 16/04/2018 अपराह्न 6:00 तक बढ़ा दिया गया है।

भाग 'ख'

पूर्व-संविदा समग्रता अनुबंध पर सभी बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

उक्त का विवरण निम्नलिखित है:

क. पूर्व- संविदा समग्रता अनुबंध शर्त

'पूर्व- संविदा समग्रता अनुबंध' राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाता के बीच हस्ताक्षर किया जाएगा। यह रा.आ.बैंक और बोलीदाता के बीच बाध्यकारी करार है। इस अनुबंध के तहत, बोलीदाता निर्दिष्ट तरीके मे समनुदेशन पूरा करने हेतु रा.आ.बैंक से सहमत होगा। पूर्व- संविदा समग्रता अनुबंध का प्रारूप संलग्नक 1 के अनुसार होगा।

इस संबंध में, केन्द्रीय सर्तकता समिति के साथ परामर्श में समग्रता अनुबंध हेतु विजया बैंक के पूर्व -प्रबंध निदेशक श्री किशोर कुमार सान्सी और सिडबी बैंक के पूर्व-उपप्रबंध निदेशक, श्री राकेश रेवारी को रा.आ. बैंक द्वारा स्वतंत्र बाह्ृ निगरानीकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

समग्रता अनुबंध के तहत अपनी प्रतिबद्धता या वचन पर बोलीदाताओं द्वारा किसी प्रकार के विचलन हेतु स्वीकृति की निम्नलिखित सेट लागू होगी:

I. संविद की अस्वीकृति या हानि
II. ईएमडी / बोली प्रतिभूति और कार्य-प्रदर्शन बॉण्ड/ पीबीजी की जब्ती
III. प्रधान और प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को नुकसान हेतु देयता, और
IV. एक उचित समयावधि हेतु रा.आ.बैंक द्वारा उल्लंघनकर्ता पर रोक

बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास कंपनी आचार संहिता होनी चाहिए (जिसमें कंपनी में सर्वत्र आचार संहिता के क्रियान्वयन हेतु रिश्वत और अन्य अनैतिक व्यवहार अनुपालन कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो)

अनुलग्नकों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in **–Tenders**